UPKU010050252022

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थित– अशोक कुमार सिंह, एच.जे.एस.
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2582/2022

कन्हैया पुत्र चिरकुट, सा०– परसौनी बुजुर्ग टोला भरपटिया, तरया सुजान, थाना– तरया सुजान, जिला–कुशीनगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

..... अभियोजन पक्ष

मु०अप०सं०– 232/2016,
धारा–452,323,308,504,506
भा०दं०सं०
थाना– तरयासुजान
जिला–कुशीनगर।

<u>28–10–2022</u>:–

कन्हैया (आवेदक/अभियुक्त) की ओर से मु०अप०सं०–232/2016, धारा– 452,323,308, 504,506 भा०दं०सं०, थाना–तरयासुजान, जिला–कुशीनगर के प्रकरण में धारा 438 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र में कहा गया है कि यह उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में या इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही निरस्त हुआ है। इस तथ्य का कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामकिशुन द्वारा थाना तरयासुजान में इस आशय की लिखित तहरीर गयी कि दिनांक 30–04–2016 को वह अपने दरवाजे के सामने बैठा था कि अभियुक्तगण विरझन, मोतीलाल, नीरज व कन्हैया गाली देने लगे। मना किया तो उसे मारने के लिये दौड़ा लिये। वह अपनी जान बचाने के लिये घर मे घुंसा तो मुल्जिमान उसे घर में भी घुंसकर मारे पीटे। उसे बचाने उसके पिता परमेश्वर तथा उसकी माता हैसिला देवी आयी तो उन भी बुरी तरह से

मार पीटकर घायल कर दिये। हल्ला व शोर शराबा सुनकर गांव के धर्मेन्द्र बचाने आये तो मुल्जिमान उसे भी मारे पीटे। उसने अपना व अपने माता पिता का मेडिकल कराया है।

वादी मुकदमा रामकिशुन द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित तहरीर के आधार पर मुकामी थाना तरयासुजान में आवेदक कन्हैया तथा सह अभियुक्तगण मोतीलाल व नीरज कुमार व विरझन के विरूद्ध मु०अप०सं० – 232/2016 पर धारा–452,323,308,504,506 भा०दं०सं० का मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक कन्हैया तथा सह अभियुक्तगण मोतीलाल व नीरज कुमार व विरझन के विरूद्ध धारा 452,323,308,504,506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय नहीं बताया गया है।इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का मोटिब नहीं बताया गया है । घटना कारित करने वाले हथियार की बरादमगी नहीं बतायी गयी है ।वादी राम किशुन की चोटें साधारण प्रकृति की है । चोटहिल होसिला देवी के सर में Right Frontal Bone का Fracture है जो सामान्य प्रकृति का है तथा जान लेवा नहीं है । मुकदमें की पुरानी रंजिश के कारण उनको अभियुक्त बनाया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि घटना के दिन वादी अपनी माता सहित मोटरसाइकिल से घर आ रहा था कि घर के पास किसी अन्य वाहन से टक्कर हो गयी और दोनों लोग पक्की सड़क पर गिर गये ,जिससे दोनों लोगों को चोटे आयी है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा रामकिशुन, उसके पिता परमेश्वर, माता हैसिला देवी व धर्मेन्द्र को घर में घुंसकर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उन्हे गंभीर चोटें आयी।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा रामकिशुन, उसके पिता परमेश्वर, माता हौसिला देवी व धर्मेन्द्र को घर में गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मारपीटकर घायल कर दिया गया, जिससे उन्हे गंभीर चोटें आयी।

आघात आख्या में घायल परमेश्वर को कुल दो चोटें आना अंकित है। चोट नंबर 2 दर्द के शिकायत की चोट है। चोटों को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी है। संलग्न एक्स–रे रिपोर्ट मे कोई फ्रैक्चर आना अंकित नहीं है।

आघात आख्या में घायल रामकिशुन को कुल तीन चोटें आना अंकित है। चोट नंबर 1 को छोड़कर सभी चोटों को साधारण प्रकृति की होना बताया गया है। चोट नंबर 1 के एक्स–रे की सलाह दी गयी है। संलग्न एक्स–रे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर आना अ अंकित नहीं है।

आघात आख्या में घायल हौसिला देवी को कुल दो चोटें आना अंकित है। चोट नंबर 1 को छोड़कर शेष चोटों को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी

है। संलग्न सी.टी. स्कैन रिपोर्ट में घायल के सिर में दाहिनी ओर फ्रण्टल बोन में फ्रैक्चर पाया गया है।

आवेदक दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं०–6 में आवेदक का बयान विवेचक द्वारा अंकित किया गया है ।

आवेदक पर आरोपित अपराध 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय नहीं है । सह अभियुक्तगण नीरज कुमार व मोती लाल की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 17–10–2022 को स्वीकार हो चुकी है । आवेदक की भूमिका भी जमानत पर रिहा हुए सह अभियुक्तगण से भिन्न व गुरूतर नहीं बतायी गयी है

आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। वर्तमान अपराध विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, स्वापक औषधि व मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, उ०प्र० गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम व एस.सी./एस.टी. ऐक्ट से संबंधित नहीं है तथा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है।

आवेदक का रोल सह अभियुक्तगण मोती लाल, नीरज कुमार से गुरूत्तर नहीं है ।अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मै आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार पाता हूँ।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **कन्हैया** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता हैः–

1– आवेदक आरोप व धारा 313 दं०प्र०सं० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विवेचना में सहयोग करेगा।

2– आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिग्य किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या विवेचक के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– आवेदक संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।

यदि आवेदक को पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो आवेदक द्वारा मु०– 1,00,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाय।

दिनांकः 28.10.2022
Mool chand

(अशोक कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना

Digitally signed by Ashok Kumar Singh
Date: 2022.11.01 11:02:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court